लोक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

मार्ग निर्देशिका

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

आमुख

लोक प्राधिकरणों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 राज्य में 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी/लागू हो गया है। राजस्थान सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना चाहने वाले आम लोगों की सुविधा के लिए मार्ग निर्देशिका प्रकाशित कराने के सभी लोक प्राधिकरणों को निर्देश दिये गये है, जिसकी पालना में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सूचना को व्यापक रूप से आसानी से जनता तक पहुंचाने के लिए इस निर्देशिका का प्रकाशन एक प्रयास है।

कृषि विपणन बोर्ड के क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं चाहने वाले आवेदकों को दस्तावेजों/पत्रावलियों के अवलोकन, सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में पर्याप्त जानकारी/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, प्रमाणित प्रतियों हेतु समय सीमा एवं निर्धारित शुल्क की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आशा है आम जनता के लिए यह मार्ग निर्देशिका उपयोगी सिद्व होगी। इस पुस्तिका के क्रम में आपके सुझाव आमंत्रित है।

जयपुर
मार्च, 2010

प्रशासक, बोर्ड

लोक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1. सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावशाली है इसमें किस–किस को अधिकार मिलेगे :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 15 जून, 2005 से कानून का रूप ले चुका है। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त हो गया है। इसके कतिपय प्रावधान उसी तिथि से प्रभाव में आ गए है। जम्मू एवं काश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत में यह अधिनियम पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हो गया है। सरकारी गोपनीयता अधिनियम,1923 और अन्य किसी कानून के प्रावधानों के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी है। केन्द्रीय अधिनियम के प्रभावशील हो जाने पर, राजस्थान सरकार द्वारा अपने कानून राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 के निरसन बाबत् नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है। इस अधिनियम द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

2. सूचना से तात्पर्य

सूचना किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हो सकती है जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, मीमों, ई–मेल, विचार, परामर्श, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लोग बुक्स, संविदा, प्रतिवेदन, कागजात, बानगी, नमूने, किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रोनिक सांख्यिकी सामग्री एवं निजी संकाय से संबंधित ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी कानून में प्राप्त की जा सकती है, सम्मिलित है। इसमें राजकीय पत्रावली पर की गई टिप्पणी सम्मिलित नहीं है।

3. सूचना के अधिकार से तात्पर्य

सूचना का अधिकार का अर्थ लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण की सूचना की पहुंच तक के अधिकार से है। इसमें निम्न अधिकार सम्मिलित हैः–

1. कार्यो, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना
2. दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां या सारांश या उद्धरण या टिप्पणी लेना
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने (बानगी) लेना
4. यदि सूचना कम्प्यूटर व अन्य तरीके से रखी गई है तो डिस्केट्स, फ्लोपीज, टेप्स, विडियों कैसेट्स या अन्य इलेक्ट्रोनिक तरीके या प्रिन्ट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करना।

5. लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

हर लोक प्राधिकरण अपने समस्त अभिलेखों को भली प्रकार से श्रेणीबद्ध एवं सूचीबद्ध कर इस प्रकार एवं इस रूप में संधारित करेगा कि सूचना का अधिकार सुगम हो जावे। अपने स्त्रोतों की प्राप्यता को ध्यान में रखते हुये, कम्प्यूट्रीकृत किए जाने योग्य समस्त अभिलेखों का, युक्तियुक्त समय में कम्प्यूटरीकरण एवं सम्पूर्ण देश में विभिन्न तरीकों से नेटवर्क से

जुडाव सुनिश्चित करेगा ताकि अभिलेखों तक पहुंच सुगम हो जावे। इसके अतिरिक्त लोक प्राधिकरण को विभिन्न सूचनाएं भी आवश्यक रूप से प्रकाशित करनी होंगी।

6. सूचना के आवेदन की प्रक्रिया

1. आवेदन लिखित या इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में शुल्क सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए, परन्तु जहां आवेदन लिखित में नहीं दिया जा सकता है, लोक सूचना अधिकारी मौखिक रूप से आवेदन करने वाले व्यक्ति को उसे लिखकर देने में समस्त युक्ति–युक्त सहयोग देगा।
2. आवेदन लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए
3. आवेदन में वांछित सूचना का विवरण होना चाहिए
4. आवेदक को सूचना प्राप्ति के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, न व्यक्तिगत विवरण देने की केवल सम्पर्क के लिए आवश्यक विवरण देने की आवश्यकता है
5. गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले आवेदक को छोडकर शेष आवेदकों द्वारा निर्धारित शुल्क अदा किया जायेगा।

7. सूचना की समय सीमा

आवेदक को वांछित सूचना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिन की समयावधि में मिल जायेगी

8. आवेदन/सूचना शुल्क

1. दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रति पृष्ठ 10/– रूपये सूचना शुल्क अदा करना होगा।
2. यदि अदा किया गया शुल्क कम पाया जाता है तो आवेदक को कमी की सूचना मय गणना व गणना का तरीका लिखित में शुल्क की कमी पूर्ति की निवेदन के साथ ही दी जानी चाहिए।
3. आवेदक लोक सूचना अधिकारी द्वारा लिये गये शुल्क के निर्णय का उपयुक्त अपील अधिकारी से पुर्नरावलोकन करवा सकता है।
4. यदि सूचना मुद्रित रूप में या इलेक्ट्रोनिक रूप में आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है तो निर्धारित शुल्क देय होगा।
5. गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति से शुल्क नहीं लिया जावेगा।

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज के उत्पादन में बढ़ोतरी के उपायों के साथ–साथ उपज की विपणन व्यवस्था सुदृढ़ तथा सुचारू रूप से होनी चाहिए, जिससे कृषकों को उपज का उचित मूल्य मिले, भुगतान में विलम्ब नहीं हो, अनाधिकृत कटौतियां नहीं हो एवं साथ ही नियमन के द्वारा उत्पाद के विक्रय मूल्य तथा उपभोक्ता द्वारा देय क्रय मूल्य के अन्तर को न्यूनतम किया जा सके।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी कृषि उपज विपणि अधिनियम सन् 1961 में पारित किया गया, जिसके नियम वर्ष 1963 में बने तथा नियमन कार्य वर्ष 1964 में प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम राज्य में मात्र 9 कृषि उपज मण्डी समितियों का गठन हुआ, जो वर्तमान में 125 तक पहुंच गई हैं। इनके अतिरिक्त 305 गौण मण्डी प्रांगण स्थापित हैं।

बोर्ड की स्थापना एवं गठन

राज्य सरकार ने सन् 1967 में श्री यशवन्त सिंह नाहर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने मण्डी समितियों के समन्वित विकास हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था (बोर्ड) का गठन करने की सिफारिश की । इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम 1961 को दिनांक 14.07.1973 को संशोधित कर विज्ञप्ति संख्या 1(6)(5) दिनांक 06.06.1974 के द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड के 24 सदस्यों में से 10 मण्डी समितियों के अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समितियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों के 2 प्रतिनिधि, 2 जन प्रतिनिधि, 1 अर्थशास्त्री तथा कृषि से संबंधित विभागों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारी सदस्य हैं व कृषि विपणन बोर्ड के सचिव पदेन सचिव हैं। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना के बाद निदेशक, कृषि विपणन भी बोर्ड के सदस्य हैं, जिससे सदस्यों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। सर्वप्रथम 6 जून, 1974 को सदस्यों को मनोनीत कर 'प्रथम बोर्ड' का गठन किया गया।

'प्रथम गठित बोर्ड' को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.01.1978 को भंग कर प्रशासक नियुक्त किया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने पुनः दिनांक 05.12.1978 को द्वितीय बोर्ड गठित किया, जिसे दिनांक 9.5.1980 को भंग कर पुनः प्रशासक नियुक्त किया गया। इसके पश्चात् बोर्ड में निरन्तर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशासक नियुक्त किये गये। वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बोर्ड के प्रशासक हैं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर अन्य राज्यों की भांति इस राज्य में भी वर्ष 1980 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गई। वर्तमान में इस विभाग द्वारा मण्डी नियमन, एगमार्क एवं वर्गीकरण, मण्डी परिज्ञान, भूमि अवाप्ति, मण्डी समितियों के बजट तथा प्रशासनिक नियंत्रण आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

बोर्ड के कर्तव्य

1. बोर्ड जहां तक संभव हो, राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 22 जे में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आवश्यक कार्य करेगा।

   22 जे. के अनुसार – मण्डी विकास निधि का उपयोग बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जावेगा :–

   (1.) राज्य कृषि मण्डी समितियों का सुधार तथा नियमन,

(2) राज्य में स्थित आर्थिक दृष्टि से कमजोर मण्डी समितियों को ऋण तथा दान के रूप में सहायता देना ताकि वे अपने कर्तव्यों तथा कार्यो का पालन कर सकने में समर्थ हो सके,

(3) कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, पेंशनें, ग्रेच्युटी, मुआवजा प्रदान करना और बोर्ड में ग्रेच्युटी, काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशनों और ग्रेच्युटी में अंशदान। इस अनुच्छेद के अधीन तमाम खर्चे मण्डी विकास निधि पर प्रथम भार रखेंगे,

(4) बोर्ड के सदस्यों को निर्धारित रीति से यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते देना,

(5) राज्य में कृषि उपज के विपणन के संबंध में शिक्षा देना तथा प्रचार करना,

(6) कानूनी खर्चो का भुगतान,

(7) मण्डी समितियों के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता का प्रावधान करना जिसमें निम्न प्रकार के प्रयोजनों के लिए मण्डी समितियों के लिए कर्मचारी वर्ग रखना सम्मिलित है :–

(ए) अभियांत्रिकी

(बी) मण्डी समितियों के हिसाब की जांच

(8) मण्डी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, शिविर, कारखाने, सेमीनार और सम्मेलन का आयोजन करना,

(9) कृषि उपज को श्रेणीबद्व करना और समस्तरीय करना,

(10) मण्डी की सडकों और मण्डी को जोडने वाली सडकों का निर्माण,

(11) मण्डी यार्डो व उप मण्डी यार्डो का निर्माण और उनकी मण्डी समितियों के पक्ष में पट्टे पर देना अथवा अन्तरण करना,

(12) निर्धारित तरीके से कर्मचारियों का ऋण तथा अग्रिम राशियां स्वीकृत करना,

(13) बोर्ड कार्यालयों की स्थापना और उनको चलाना,

(14) बोर्ड के हिसाब की जांच पर व्यय

(15) कृषि विपणन से संबंधित, सरकार की पुर्वानुमति से किसी अन्य प्रयोजन के लिए खर्चा

2. जब भी पूंछा जावे, बोर्ड सरकार को तथा मण्डी समितियों को कृषि विपणन के संबंध में परामर्श देना।

बोर्ड के मुख्य कार्य/कियाकलाप

1. ग्रामीण सम्पर्क सडकों का निर्माण कराना तथा निर्मित सडकों का सुदृढीकरण व उन्नयन करना।

2. कृषि उपज मण्डी समिति के अधीन मुख्य मण्डी यार्ड व गौण मण्डी यार्डो का निर्माण तथा उनका रख–रखाव।

3. नवीन मण्डी यार्डो के निर्माण की योजना बनाकर प्रस्तुत करना तथा वित्तीय साधन जुटाना।

4. कृषि विपणन निदेशालय द्वारा चयनित नवीन मण्डी यार्डो के साईट का ले आउट प्लान तैयार कर टाईप डिजाईन बनाना।

5. कृषि विपणन संबंधी ज्ञान का प्रचार–प्रसार।

6. बोर्ड कृषि विपणन निदेशालय एवं मण्डी कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण।

7. कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर , उन्हें आर्थिक सहायता देना।

8. फल–सब्जी, बीज मसालें एवं औषधीय पौघ उत्पादों के निर्यात हेतु प्रोत्साहन और परामर्श।

9. फसलोत्तर प्रबन्धन संबंधी कार्यो हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।

तकनीकी अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

बोर्ड द्वारा निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन के लिए कार्यो के तकमीने, संशोधित तकमीने, निविदाऐं, अतिरिक्त मद पर्ची, अधिक मद पर्ची एवं अन्तर विवरण की स्वीकृति का निर्णय लेना होता है इस हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य निर्णय हेतु राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लेखित शक्तियों के अनुरूप ही शक्तियां अधिकारियों को प्रदत्त है।

पद नाम	शक्तियां एवं कर्तव्य
अध्यक्ष / प्रशासक	120 लाख रूपये से अधिक के कार्यो के संबंध में निर्णय लेना
अतिरिक्त मुख्य अभियंता	120 लाख तक के कार्यो के संबंध में निर्णय लेना
अधीक्षण अभियंता	80 लाख तक के कार्यो के संबंध में निर्णय लेना
अधिशाषी अभियंता	30 लाख तक के कार्यो के संबंध में निर्णय लेना

कार्य सम्पादन के लिए नियम

बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये निम्नांकित नियम, विनियम, अनुदेश एवं उपविधियों का प्रयोग करते है।

1. राजस्थान राज्य कृषि विपणी अधिनियम 1961
2. राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा उपविधियां 1977
3. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अकाउन्टस मैन्युअल
4. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (सामान्य भविष्य निधि नियम 1996)
5. राजस्थान राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्तीय लेखा नियम
6. भवन ऋण, वाहन ऋण एव अग्रिम जोखिम निधि नियम 1991
7. राजस्थान लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम राजस्थान सरकार

बोर्ड के पास उपलब्ध दस्तावेजों की जानकारी

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक लाईन में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक/नियंत्रण अधिकारी
1	2	3	4	5
1	प्रशासनिक प्रकोष्ठ	नियुक्तियों से संबंधित आदेश	महाप्रबन्धक, बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत करें	महाप्रबन्धक, प्र.
2		वरिष्ठता सूचियां	ʻʻ	ʻ
3		पदोन्नति आदेश	ʻ	ʻ
4		स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश	ʻ	ʻ
5		संस्थापन शाखा से जारी परिपत्र	ʻ	ʻ
6		बोर्ड सेवा उपविधियां	ʻ	ʻ
7		वाहनों से संबंधित सूचना	ʻ	ʻ
8		बोर्ड की केडर स्ट्रेन्थ	ʻ	ʻ
9	लेखा प्रवर्ग	बोर्ड का अकाउन्टस मैन्युअल	ʻ	वित्तीय सलाहकार
10		वित्तीय स्वीकृतियां	ʻ	ʻ
11		बजट आवंटन	ʻ	ʻ
12		बैंक सामाधान विवरण	ʻ	ʻ
13		बोर्ड के वार्षिक लेखें	ʻ	ʻ
14		बोर्ड का अंकेक्षण प्रतिवेदन	ʻ	ʻ
15		मंडी विकास कोष से संबंधित सूचना	ʻ	ʻ
16		किसान जीवन कल्याण योजना की सूचना	ʻ	ʻ
17		पेंशन/पेंशन कोष से संबंधित सूचना	ʻ	ʻ
18.		सामान्य भविष्य निधि कोष से संबंधित सूचना	ʻ	ʻ
19		बोर्ड में अन्य व्यक्तियों/ संस्थाओं की जमा राशियों की सूचना	ʻ	ʻ
20		बोर्ड की बकाया राशि की सूचना		ʻ
21		बैंकों को दी गयी एफ.डी. आर. की सूचनाऐं	ʻ	ʻ
22		बोर्ड के मासिक/ त्रैमासिक/ वार्षिक आय – व्यय के लेखों की प्रतियां	ʻ	ʻ

23.		कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों का विवरण	ʼ	ʼ
24		अंशदायी भविष्य निधि के लेखों से संबंधित सूचना	ʼ	ʼ
25	नगर आयोजना	कृषि उपज मण्डी प्रांगणों के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के अनुमोदित नक्शें / पत्रादि	ʼ	उप नगर नियोजक
26	जांच शाखा	आरोपित कर्मचारियों के विरूद्व जारी आरोप पत्र	ʼ	महाप्रबन्धक, प्र.
27		जांच प्रतिवेदन	ʼ	ʼ
28		जांच में पारित आदेश	ʼ	ʼ
29		अपील में पारित आदेश	ʼ	ʼ
30		द्वितीय अपील में पारित आदेश	ʼ	ʼ
31	विधि शाखा	वादों की सूचना	ʼ	ʼ
32		कोर्ट द्वारा पारित निर्णय	ʼ	ʼ
33		कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों की सूचना	ʼ	ʼ
34	सांख्यिकी शाखा	बोर्ड की सांख्यिकीय सूचना, मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति की सूचनाऐं	ʼ	ʼ
35.	फसलोत्तर प्रबंधन शाखा	फसलोत्तर प्रबंधन, निर्यात संवर्धन, मूल्य संवर्धन इत्यादि की सूचना	ʼ	सचिव
36	निर्माण शाखा	बोर्ड / जोन कार्यालय से रजिस्टर्ड ठेकेदारों की सूचना	संबंधित अति. मुख्य अभियंता	संबंधित अति. मुख्य अभियंता .
37		बोर्ड / जोन से अनुमोदित निविदाए, समयावधि में वृद्वि के प्रकरणों में हुये निर्णय	ʼ	ʼ
38		निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन के संबंध में बोर्ड / जोन कार्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश / परिपत्रों की प्रतियां	ʼ	ʼ
39		जोन से अनुमोदित तकमीने, संशोधित तकमीने, अतिरिक्त मद पर्ची, अधिक मद पर्ची, अंतर विवरण पत्रादि	ʼ	ʼ
40		अति. मु. अभियंता द्वारा किये गये निरीक्षणों के निरीक्षण प्रतिवेदन	ʼ	ʼ

41		वृत कार्यालयों से अनुमोदित निविदाऐं, तकमीने, संशोधित तकमीने, अतिरिक्त मद पर्ची, अधिक मद पर्ची, अंतर विवरण पत्राादि	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित अधीक्षण अभियंता
42		वृत कार्यालयों द्वारा समयावधि में वृद्वि के प्रकरण में लिये गये निर्णयों की प्रतियां	'	'
43		अधीक्षण अभियंताओं द्वारा निर्माण कार्यो के निरीक्षणों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां	'	'
44		खंडीय कार्यालय से अनुमोदित निविदाऐं, तकमीने, संशोधित तकमीने, अतिरिक्त मद पर्ची, अधिक मद पर्ची, अंतर विवरण पत्राादि	संबंधित अधिशाषी अभियंता	संबंधित अधिशाषी अभियंता
45		खंडीय कार्यालयों द्वारा समयावधि में वृद्वि के प्रकरणों पर लिये गये निर्णय की प्रति	'	'
46		अधिशाषी अभियंताओं द्वारा निर्माण कार्यो के निरीक्षणों के उपरांत प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां	'	'
47		निर्माण कार्यो के लिए प्रस्तुत किये गये बिलों के भुगतान की सूचना एवं माप पुस्तिका में रिकार्ड किये गये ब्यौरें की सत्यापित प्रतियां	'	'

बोर्ड द्वारा अधिकृत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा अपीलेट आथोरिटी का ब्यौरा

विभागीय अपीलेट अथोरिटीः

क. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल.	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री उमेश कुमार	प्रशासक	0141	2227914	2712291 9413375781	2227096		बोर्ड मुख्यालय

लोक सूचना अधिकारीः

क. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल.	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री कैलाश चन्द मीणा	महाप्रबन्धक	0141	2227336	2707648 9413384000	2227096		बोर्ड मुख्यालय

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल.	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री एम.के. मेहता	तकनीकी सहायक, प्रशासक	0141	2227431	9413313313			बोर्ड मु
2.	श्री महेन्द्र सिंह करोल	अधिशाषी अभि. विधुत	0141	2227227	2784224 9413340798			बोर्ड मु,
3.	श्री शीशराम बसेरा	अधिशाषी अभि. जयपुर (प्रथम)	0141	2740048	9413387019			
4.	श्री नाहर सिंह मीणा	अधिशाषी अभि. जयपुर (द्वितीय)	0141	2330346	9413387031			
5.	श्री एन.के. तंवर	अधिशाषी अभि. जयपुर (टर्मिनल मार्केट)	0141	2743104	9413387017			
6.	श्री महेश कुमार गुप्ता	अधिशाषी अभि. गुण नियंत्रण, जयपुर	0141	2701283	9413373839			
7.	श्री बृजलाल जाटव	अधिशाषी अभि. अलवर	0144	2330486	9413387034			

8.	श्री बलवन्त सिंह धारीवाल	अधिशाषी अभि. भरतपुर	05644	261147	9413387136			
9.	श्री सुन्दरनारायण माथुर	अधिशाषी अभि. गंगापुरसिटी	07463	232009	9413387018			
10.	श्री अशोक कुमार फुलवारिया	अधिशाषी अभि. दौसा	01427	220390	9413387033			
11.	श्री जसविन्द्रर गोयल	अधिशाषी अभि. टोंक	01432	247821	9413387026			
12.	श्री लाल चन्द बैरवा	अधिशाषी अभि. अजमेर	0145	2440902	9413387038			
13.	श्री घनश्याम गुप्ता	अधिशाषी अभि. सीकर	01572	259143	9413387029			
14.	श्री शायर सिंह शेखावत	अधिशाषी अभि. मेडतासिटी	01590	231057	9413387036			
15.	श्री आर.सी. खोईवाल	अधिशाषी अभि. चितोडगढ	01472	245599	9413387085			
16.	श्री महावीर जैन	अधिशाषी अभि. उदयपुर	0294	2583360	9413387022			
17.	श्री शिवराम चौधरी	अधि. अभि. जोधपुर (प्रथम)	0291	2570402	9413387042			
18.	श्री अनिल दुग्गल	अधिशाषी अभि. जोधपुर (द्वितीय)	0291	2570633	9413387028			
19.	श्री एस.के. सहलोत	अधिशाषी अभि. सुमेरपुर	02933	258529	9413387030			
20.	श्री भजन लाल	अधिशाषी अभि. श्रीगंगानगर	0154	2470608	9413387044			
21.	श्री शंकर लाल शर्मा	अधिशाषी अभि. हनुमानगढ	01552	260832	260312, 9413387043			
22.	श्री राजकुमार डालिया	अधिशाषी अभि. अनूपगढ	01498	222938	9413387023			
23.	श्री सीताराम छाबा	अधिशाषी अभि. बीकानेर	0151	250986	9413387041			
24.	श्री एस.बी.गुप्ता	अधिशाषी अभि. बॉरा	07453	234073	9413387040			
25.	श्री बलराम मीणा	अधिशाषी अभि. कोटा	0744	2490388	9413387032			
26.	श्री के.पी. माथुर	अधिशाषी अभि. झालावाड	07432	230364	9413387039			

Officers Directory

Name	Designation	Telphone (Office)	Telphone (Res.)
Shri Umesh Kumar	Administrator	2227914	2712291, 9413375781
Shri K.C. Meena	Gen. Manager (Admn.)	2227336	2707648, 9413384000
Shri Pramod Satya	Secretary	2227508	9413386291
Shri R.P. Choudhary	Addl. Chief Engg. I	2227517	2546880, 9413374000
Shri N.K. Sharma	Addl. Chief Engg. I I	2227435	2352293, 9413382345
Shri Bhaskar Sharma	Financial Advisor	2227822	9413372000
Shri M.K. Mehta	TA to Adm & SE P&M	2227431	9413313313
Shri S.N. Agrawal	Dy. Dir. (Stat.)	2227616	2572180,9413387012
Shri Bankim Modi	Dy. Secy.	2227495	2351153,9413387011
Shri K.R. Chandel	T.A. to AEC-II	2227435	9413387035
Shri Mahesh Kumar Gupta	EE (QC)	2701283	9413373839
Shri M.S. Karol	EE (Elect.)	2227227	2784224, 9413340798
Smt. Anju Singh	A.O.	2227825	2753922, 9413387015
Shri M.K. Kabra	A.C.P.	2227361	2781720, 9413387013
Shri Ajay Mathur	M.O. (PHM)	2227824	9414070191
Shri Kalyan Sahai Sharma	Asstt. Dir. (Stat)	222616	2231488, 9413387014
Shri C. Alexander	Sr. P.A. to Adm.	2227914	2547640,9413387060
Zone-I			
Shri M.K.Mehta	**S.E. (P&M) Jaipur**	2227431	9413313313
Shri S.R. Basera	EE Jaipur-I	2740048	9413387019
Shri Nahar Singh Meena	EE Jaipur-II	2330346	9413387031
Shri S.P.Jain	**SE, Jaipur**	2740445	2354108, 9413372345
Shri Brij Lal Jatav	EE Alwar	(0144)2 330486	9413387034
Shri Balwant Singh Dhariwal	EE Bharatpur	(05644) 261147	9413387136
Shri S.N. Mathur	EE Gangapurcity	(07463) 232009	234022, 9413387018
Shri Ashok Falwaria	EE Dausa	(01427)220390	9413387033

Shri Jasvinder Goyal	EE Tonk	(01432) 247821	243412, 9413387026
Shri N.K. Tanwar	EE Jaipur (T.M.)	2743104	9413387017
Shri Hari Ram Choudhary	**S.E. Ajmer**	(0145) 2440233	9413373456
Shri Lal Chand Bairwa	EE Ajmer	2440902	9413387038
Shri Ghan Shyam Gupta	EE Sikar	(01572)2 59143	9413387029
Shri S.S. Shekhawat	EE Mertacity	(01590)2 31057	9413387036
Shri R.C. Khoiwal	EE Chittorgarh	(01472) 245599	9413387085
Shri Mahaveer Jain	EE Udaipur	(0294) 2583360	9413387022
Zone-II			
Shri Akash Mehta	**S.E.Jodhpur**	(0291)2 570741	9413371234
Shri S.R. Choudhary	EE Jodhpur-I	2570402	9413387042
Shri Anil Kr. Duggal	EE Jodhpur-II	2570633	9413387028
Shri S.K. Sehlot	EE Sumerpur	(02933) 258529	9413387030
Shri C.R. Shekhawat	**SE, Ganganagar**	(0154)2470301	9413374567
Shri Bhajan Lal	EE Ganganagar	(0154) 2470608	9413387044
Shri Shankar Lal	EE Hanumangarh	(01552) 260832	9413387043
Shri Raj Kumar Dalia	EE Anoopgarh	(01498) 222938	223792, 9413387023
Shri S.R. Chhaba	EE Bikaner	(0151) 2250986	9413387041
Shri P.S. Kalla	**S.E. Kota**	(0744) 2490497	9413375678
Shri S.B. Gupta	EE Baran	(07453) 234073	9413387040
Shri Balram Meena	EE Kota	(0744) 2490388	9413387032
Shri K.P. Mathur	EE Jhalawar	(07432) 230364	9413387039

बोर्ड की केडर स्ट्रेन्थ

क्र. सं.	पदनाम	वेतन श्रृंखला	स्वीकृत पद	कार्यरत			रिक्त
				बोर्ड	प्रति नियुक्ति	कुल योग	
प्रशासनिक संवर्ग							
1.	प्रशासक		1	–	1	1	–
2.	महाप्रबन्धक (प्रशासन)	12000–16500	1	–	1	1	–
3.	सचिव	12000–16500	1	–	1	1	–
4.	उप सचिव	10000–15200	1	1	–	1	–
अभियांत्रिकी संवर्ग (सिविल)							
5.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता	14300–18300	2	2	–	2	0
6.	अधीक्षण अभियंता	12000–16500	6	6	–	6	0
7.	अधिशाषी अभियंता (सिविल)	10000–15200	32	32	–	32	0
8.	सहायक अभियंता (सिविल)	8000–13500	79	79	–	79	0
9.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	5000–8000	135	109	–	109	26
10	लेब ऑपरेटर	5000–8000	1	1	–	1	0
अभियांत्रिकी संवर्ग (विद्युत)							
11	अधिशाषी अभियंता	10000–15200	1	1	–	1	–
12.	सहायक अभियंता	8000–13500	5	5	–	5	–
13.	कनिष्ठ अभियंता	5000–8000	3	3	–	3	0
लेखा संवर्ग							
14.	वित्तीय सलाहकार	12000–16500	1	–	1	1	–
15.	लेखाधिकारी	8000–13500	1	–	1	1	–
16.	सहायक लेखाधिकारी	6500–10500	7	6	4	10	3 Excess
17.	लेखाकार	5500–9000	27	22	2	24	3
18.	कनिष्ठ लेखाकार	5000–8000	24	13	6	19	5
सांख्यिकी संवर्ग							
19.	उप निदेशक (सांख्यिकी)	10000–15200	1	1	–	1	–
20.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	8000–13500	1	1	–	1	–
21.	सांख्यिकी अधिकारी	6500–10500	4	4	–	4	–
22.	संख्यिकी सहायक	5000–8000	1	1	–	1	–
कम्प्यूटर संवर्ग							
23.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर	10000–15200	1	1	–	1	–
24.	प्रोग्रामर	6500–10500	1	1	–	1	–
25.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5000–8000	2	2	–	2	–
26.	डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर	4000–6000	1	1	–	1	–
नगर नियोजन संवर्ग							
27.	उप नगर नियोजक	10000–15000	1	–	–	0	1
28.	वरिष्ठ प्रारूपकार	5000–8000	2	2	–	2	–
29.	कनिष्ठ प्रारूपकार	4000–6000	5	5	–	5	0
30.	ट्रेसर	3050–4590	2	2	–	2	0
फसलोत्तर प्रबंधन/विपणन संवर्ग							
31.	निदेशक (निर्यात,विपणन एवं फसलोत्तर प्रबंधन)	14300–18300	1	–	–	0	1
32.	उप रजिस्ट्रार/ सहायक रजिस्ट्रार कॉपरेटिव	6500–10500	1	–	–	0	1
33.	सहायक निदेशक/ विपणन अधिकारी/ सहायक विपणन अधिकारी	6500–10500	1	–	1	1	0
34.	सहायक विपणन अधिकारी	8000–13500	2	–	1	1	1
35.	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	5500–8000	2	–	–	0	2

संस्थापन संवर्ग							
36.	मुख्य विधि सहायक व संस्थापन अधिकारी	6500–10500	1	–	1	1	0
	निजी सचिव	8000–13500	1	1	–	1	–
37.	वरिष्ठ निजी सहायक	6500–10500	5	6	–	6	(–1)
38.	निजी सहायक	5500–9000	5	5	–	5	–
39.	स्टेनोग्राफर	5000–8000	7	4	–	4	3
40.	कार्यालय अधीक्षक	5500–9000	1	1	–	1	0
41.	कार्यालय सहायक	5000–8000	12	10	–	10	2
42.	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	110	104	–	104	6
43.	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	81	78	–	78	3
44.	वाहन चालक	3050–4590	17	11	–	11	6
45	रोड रोलर ड्राईवर		–	2	–	2	–
46.	जमादार/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2550–3200	117	117	–	117	–
47.	वर्कचार्ज कर्मचारी		–	187	–	187	–
48.	सहायक प्रचार अधिकारी	5500–9000	1	–	–	–	1
49.	सहायक प्रदर्शनी अधिकारी	5500–9000	1	1	–	1	–
50.	प्रचार सहायक	3200–4900	1	–	–	–	1

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को मासिक वेतन राजस्थान पुनरीक्षित नवीन वेतनमान 2008 के अन्तर्गत पदानुसार वेतन श्रृंखलाओं में दिया जाता है।

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर का मण्डी विकास निधि के वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु बजट अनुमान

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक आय अनअंकेक्षित 2007–08	बजट अनुमान 2008–09	सितम्बर 08 तक की आय	संशोधित बजट अनुमान 2008–09	बजट अनुमान 2009–10
1	2	3	4	5	6	7
(अ)	प्राप्तियां					
1.	प्रारम्भिक शेष (अनअंकेक्षित)	5797.48	2261.95	3604.27	3604.27	1133.66
	(1.)कृ.उ.मं. समितियों से प्राप्त अंशदान	4103.77	4200.00	2371.15	4400.00	4400.00
	(2.)कृ.उ.मं. से आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ब्याज की प्राप्ति	51.00	40.00	20.11	20.11	0.00
	(3.)ब्याज से प्राप्तियां	224.73	100.00	76.80	76.80	100.00
2.	मण्डी ऋण					
	(1.)मूलधन	362.58	600.00	168.90	296.42	200.00
	(2.)ब्याज	21.85	75.00	11.21	46.86	50.00
3.	परिसम्पत्तियों की बिक्री से आय	0.00	1000.00	0.00	0.00	500.00
4.	कृ.उ.म.स. से आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत मूलधन से प्राप्ति	229.66	200.00	0.00	0.00	0.00
5.	खण्ड कार्यालयों से प्राप्त आय	1239.99	1500.00	826.90	1860.00	1000.00
6.	सर्म्पक सड़को की विशेष मरम्मत हेतु प्रस्तावित बैक ऋण	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	किसान भवनों से आय	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	योग (अ)	**15031.06**	**9976.95**	**7079.34**	**10304.46**	**7413.66**

(ब)	व्यय					
	1.मण्डी विकास निधि से व्यय	11426.79	8196.82	3949.35	9170.80	6961.10
	योग (ब)	**11426.79**	**8196.82**	**3949.35**	**9170.80**	**6961.10**
(स)	अंतिम शेष (अ–ब)	**3604.27**	**1780.13**	**3129.99**	**1133.66**	**452.56**

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर का मण्डी विकास निधि के वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु संशोधित बजट अनुमान व वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु बजट अनुमान

(राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक व्यय अनअंकेक्षित 2007–08	बजट अनुमान 2008–09	राज्य सरकार से पुर्न विनियोजित	वर्तमान बजट स्थिति	सितम्बर 2008 तक का व्यय	संशोधित बजट अनुमान 2008–09	बजट अनुमान 2009–10
1.	बोर्ड मुख्यालय एवं वृत कार्यालयों का संस्थापन व्यय	657.43	750.00	–	–	447.75	1163.00	1154.70
2.	प्रशिक्षण/भ्रमण/सेमीनार	0.40	35.00	–	–	0.92	2.00	35.00
3.	प्रचार–प्रसार एवं प्रदर्शनियां	38.74	25.00	–	–	15.73	55.00	30.00
4.	सम्पर्क सडक/यार्ड/सब यार्ड में अतिआवश्यक / विशेष मरम्मत एवं सी एवं डी श्रेणी की मण्डीयों के मरम्मत का व्यय	2484.91	600.00	–	–	48.43	60.00	100.00
5.	किसान जीवन कल्याण योजना	1190.40	1200.00	–	–	943.95	1800.00	900.00
6.	कृषक उपहार योजना	0.31	0.00	–	–	0.00	0.00	0.00
7.	मण्डी विकास निधि से सम्पर्क सडकों का निर्माण	254.07	500.00	–	–	197.49	300.00	300.00
8.	मण्डियों को परियोजना ऋण	140.00	175.00	–	–	0.00	100.00	100.00
9.	किसान मण्डी योजना	0.00	10.00	–	–	0.00	0.00	0.00
10.	पूंजी विनियोजन अनुदान	0.00	25.00	–	–	0.00	0.00	0.00
11.	निर्यात संवर्धन एवं फसलोत्तर प्रबंध	16.11	200.00	–	–	26.11	50.00	50.00
12.	विशिष्ट श्रेणी की मण्डी समिति/ विपणन बोर्ड /निदेशालय कृषि विपणन का कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिक सुविधाओ का विकास।	4.85	35.00	–	–	1.00	2.00	2.00

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक व्यय अनअंकेक्षित 2007–08	बजट अनुमान 2008–09	राज्य सरकार से पुर्न विनियोजित	वर्तमान बजट स्थिति	सितम्बर 2008 तक का व्यय	संशोधित बजट अनुमान 2008–09	बजट अनुमान 2009–10
13	आर.आई.डी.एफ. (पंचम) योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़को के निर्माण हेतु राज्य सरकार के मार्फत नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर ब्याज का भुगतान	77.27	0.00	–	–	0.00	0.00	0.00
14	आर.आई.डी.एफ.(पंचम) के अंतर्गत बोर्ड को दिये गये ऋण की किस्त का राज्य सरकार को भुगतान	733.51	0.00	–	–	0.00	0.00	0.00
15.	मण्डोर मण्डी रोड के सर्कल के रख–रखाव हेतु	0.40	0.40	–	–	0.00	0.40	0.40
16.	सी व डी श्रेणी की मण्डियों में सडक निर्माण हेतु उत्पन्न ऋणात्मक शेष का अपलेखन	0.00	10.00	–	–	0.00	0.00	0.00
17.	कृषि विपणन निदेशालय के संस्थापन व्यय का पुर्नभरण	267.95	300.00	–	–	0.00	289.43	400.00
18.	किसान भवन जयपुर	220.32	50.00	–	–	0.00	17.97	0.00
19.	राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त अनुबन्ध पर रखे गये कर्मचारियों/ अधिकारियों के मानदेय हेतु भुगतान एवं अन्य विविध व्यय/किसान भवनों का रखरखाव	91.31	15.00	–	–	7.00	15.00	15.00
20.	खण्ड कार्यालयों का संस्थापन व्यय	1113.65	1510.42	–	–	558.47	2325.00	2412.00
21	जयपुर संभाग के अतिरिक्त संभाग स्तर के किसान भवन का निर्माण कार्य	1090.64	900.00	–	–	387.38	450.00	1.00
22	विभिन्न जिलो के सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	1565.00	1000.00	–	–	375.00	775.00	225.00

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक व्यय अनअंकेक्षित 2007–08	बजट अनुमान 2008–09	राज्य सरकार से पुर्न विनियोजित	वर्तमान बजट स्थिति	सितम्बर 2008 तक का व्यय	संशोधित बजट अनुमान 2008–09	बजट अनुमान 2009–10
23	कार्यालय भवन का रखरखाव एवं मरम्मत	24.74	50.00	–	–	1.80	50.00	50.00
24	आयकर	0.00	10.00	–	–	0.00	300.00	350.00
25	मण्डी चुनाव	0.00	1.00	–	–	0.21	1.00	1.00
26	सर्म्पक सड़को की विशेष मरम्मत हेतु प्रस्तावित ऋण एवं ब्याज का पुर्नभुगतान	1289.40	700.00	–	–	767.00	1270.00	750.00
27	मंडी विकास निधि से पैके हाउस का निर्माण कार्य	63.50	10.00	–	–	5.00	10.00	0.00
28	एम. डी. एफ रिवालविंग फण्ड	5.00	0.00	–	–	0.00	0.00	0.00
29	मिसिंग लिंक (2003–04)	96.88	0.00	–	–	20.00	50.00	0.00
30	किसान भवन का रखरखाव	0.00	85.00	–	–	62.95	85.00	85.00
31	वर्ष 03.04 में स. स. की मरम्मत हेतु प्राप्त राशि का भुगतान	0.00	0.00	–	–	83.16	0.00	0.00
	योग	**11426.79**	**8196.82**	–	–	**3949.35**	**9170.80**	**6961.10**

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

''राजीव गॉधी कृषक साथी योजना 2009''

राज्य में 30 अगस्त, 1994 से कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानों व खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए **कृषक साथी**' योजना बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी तथा इस योजना से पूर्व 22 दिसम्बर, 2004 से **''किसान जीवन कल्याण योजना''** के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती रही थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4 (78)कृषि/ग्रुप–2/2002 दिनांक 09.12.2009 के द्वारा ''किसान जीवन कल्याण योजना'' को संशोधित कर ''राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009'' के रूप में लागू की गई है।

''राजीव गॉधी कृषक साथी योजना 2009'' में राज्य के कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, गॉव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना मे मृत्यु या अंग–भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों में देय होगा :–

1. कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रो का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से संबंधित सिंचाई कार्य भी शामिल हैं)
2. सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय, ट्यूबवैल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवैल संचालित करते समय बिजली करन्ट लगने का खेत में गुजरने वाली विधुत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
3. कृषकों द्वारा खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रासायनिक दवाइयों आदि का छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
4. मुख्यमण्डी यार्ड, उपमण्डी यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
5. मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
6. मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर ट्राली, ऊॅट लढ्ढा, बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में काश्ताकार की मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
7. मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल/मजदूर की मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
8. अपने अथवा किराये के साधन जिसमें काश्ताकार स्वयं हो, मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर अथवा कृषि उपज बेचकर अपने या किराये के साधन से गॉव लौटते समय (अगले दिन तक) में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
9. काश्तकार/खेतीहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, ऊॅटगाड़ी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
10. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि संयंत्रों से कृषक/मजदूर, पुरूषों, महिलाओं के केश (बाल) मशीन में आने से हुई दुर्घटना (डी–स्केल्पिंग) पर।
11. कृषकों/खेतिहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सॉप या जहरीले जानवर के काटने/ऊॅट के काटने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
12. कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
13. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय रीढ की हड्डी टूट जाने पर दो अंगो की क्षति के समान मानते हुए मुआवजा राशि देय होगी।
14. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर इसे दो अंगो के स्थायी रूप से अंग–भंग होने के समान क्षति मानते हुऐ सहायता राशि देय होगी।

इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 09.12.09 के पश्चात के प्रकरणों में निम्न प्रकार सहायता देय होगीः–

		(राशि रूपयों में)
क्र.सं.	**सहायता राशि हेतु परिस्थिति**	**देय सहायता राशि**
1.	मृत्यु होने पर आश्रित को	**1,00,000/–**
2.	दो अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनो आंख, कोई एक–एक अंग अलग से कटने पर	**50,000/–**
3.	रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा में जाने पर	**40,000/–**
4.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की डी–स्केल्पिग होने पर	**40,000/–**
5.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की आंशिक (छोटे भाग की) डी–स्केल्पिग होने पर	**25,000/–**
6.	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा, बांह आदि के अंग–भंग होने पर	**25,000/–**
7.	चार अंगूली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	**15,000/–**
8.	तीन अंगूली कट जाने पर	**10,000/–**
9.	दो अंगूली कट जाने पर	**10,000/–**
10.	एक अंगुली कट जाने पर	**5,000/–**

इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा समय–समय पर परिवर्तित योजनाओं में दी गई सहायता राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	**वर्ष**	**बजट प्रावधान (लाख रूपये)**	**लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या**	**सहायता राशि (लाख रूपये)**
1.	1991–92 से 1994–95 तक	–	–	18.03
2.	1995–96	40.00	240	29.26
3.	1996–97	50.00	321	49.07
4.	1997–98	60.00	386	60.00
5.	1998–99	100.00	585	98.62
6.	1999–2000	120.00	730	119.98
7.	2000–01	120.00	680	119.98
8.	2001–02	255.00	1103	199.23
9.	2002–03	350.00	1866	349.17
10.	2003–04	400.00	1810	392.42
11.	2004–05	400.00	1837	400.02
12.	2005–06	900.00	1596	533.17
13	2006–07	900.00	2781	902.04
14.	2007–08	1200.00	3624	1190.40
15.	2008–09	600.00	1373	460.81
16.	2008–09 (बीमा वि. द्वारा 03/09)	1249.44	2160	683.220
17.	2009–10 बोर्ड द्वारा (02/10)	300.00	580	194.385
18.	2009–10 बीमा वि. द्वारा (02/10)	600.00	99	23.68
	योग		**21771**	**5823.485**

ठेकेदारों का पंजीयन

बोर्ड में निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु संवेदकों का पंजीयन सार्वजनिक निर्माण विभाग के वित्तीय नियमों के अधीन पंजीयन नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. एए एवं ए श्रेणी में पंजीयन अध्यक्ष/प्रशासक से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित जोन कार्यालय
2. बी श्रेणी संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता
3. सी श्रेणी संबंधित अधीक्षण अभियंता
4. डी श्रेणी संबंधित अधिशाषी अभियंता

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

भवन एवं सडक निर्माण हेतु किसी प्रकार का कोई एक मानक निर्धारित नहीं है। निर्माण कार्यो की प्रकृति परिस्थितियों के अनुरूप उपयोग में आने वाली विभिन्न निर्माण सामग्रियों के मानक निर्धारित है। इन मानकों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी/प्रचलित बी.एस.आर., एम.ओ.आर.डी. एवं इंडियन रोड़ कांग्रेस के दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण कार्यो का कियान्वयन किया जाता है।

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाऐं

बोर्ड में निम्नांकित सूचनाऐं कम्प्यूटर से संधारित की जाती है :

1. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सडकों/भवनों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति ।
2. बोर्ड द्वारा निर्मित सडकों की सूची ।
3. बोर्ड द्वारा निर्मित पूर्ण परियोजनाओं की सूची ।
4. मिसिंग लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्मित सडकों की सूची ।
5. कृषक साथी/किसान जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की सूची ।